न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2016/00063 जिला–नागौर

1. तेजा पुत्र कानाराम मृतक जरिये वारिसानः–
   1/1 श्रीमती चन्द्री देवी पत्नी तेजाराम
   1/2 शिवलाल पुत्र तेजा
   1/3 नेमाराम पुत्र तेजाराम
   1/4 मांगीलाल पुत्र तेजाराम
   1/5 डूंगरराम पुत्र तेजाराम
   1/6 श्रीमती पानी देवी पुत्री तेजाराम
   1/7 श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री तेजाराम
2. लालू पुत्र शेरा
   समस्त जाति कुम्हार निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. शिवलाल पुत्र श्री लूणाराम जाति जाट निवासी श्यामसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. तहसीलदार नागौर जिला नागौर।
3. तहसीलदार नोखा जिला बीकानेर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नागौर
दिनांक 06–05–2015 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 17/2014
बउनवान शिवलाल बनाम तेजा

–––

Signature Not Verified
Digitally signed by Chothi Ram Meena
Date: 2023.11.06 13:32:17 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित– 1. श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषक अपीलार्थीया
2. श्री सोहनपाल सिंह राज[illegible] अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः— 18—10—2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर के समक्ष राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खेत खसरा नम्बर 126 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 127 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा सरहद मौजा श्यामसर तहसील नागौर में स्थित है जिसके पूर्व में नागौर व बीकानेर जिले की सीमा है। सीमा के दूसरी तरफ बीकानेर जिले में अपीलार्थी तेजा के खातेदार के खेत खसरा नम्बर 853 रकबा 1.900 हैक्टर व अप्रार्थी लालू की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 856 रकबा 3.600 हैक्टर स्थित है जो गांव मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर की सीमा में स्थित है। प्रत्यर्थी का खेत तहसील नागौर की सीमा में है अप्रार्थीगण वर्तमान (अपीलार्थीगण) तेजा व लालूराम ने दोनों जिलों के मध्य स्थित माठ को खिसकाकर प्रार्थी (वर्तमान में प्रत्यर्थी) की तरफ करना चाहता है। अप्रार्थीगण ने सीमा की वास्तविक स्थिति में परिवर्तन करके उसकी खातेदारी की भूमि को कम करने में सफल हो गये तो इससे प्रार्थी वर्तमान में प्रत्यर्थी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी व वाद बहुल्यता भी बढेगी इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतों का नाप चौक कर सीमाज्ञान कराया जाकर मुस्तकिल मुटाम से पत्थरगढी कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालजय ने अप्रार्थीगण (वर्तमान में अपीलार्थीगण) की तलबी कराये बिना मौके पर जाकर सीमाज्ञान कराये बिना ही एकतरफा में प्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा नम्बर 126 व 127 का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यथीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाशक द्वारा प्रार्थना—पत्र धारा—5 पर कथन किया है कि अपीलार्थीगण की भूमि बीकानेर जिले में स्थित है जबकि अप्रार्थी शिवलाल की भूमि नागौर जिले में स्थित है और न्यायालय ने दोनों जिले के मध्य स्थित सीमा पर पत्थरगढी का आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित कि[illegible]स कारण प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय के आदेश की जानकारी समय पर [illegible] हो सकी। प्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 26—12—2015 [illegible] तहसीलदार नोखा से पत्थरगढी करने बाबत सूचना दिये [illegible] पश्चात नकल आदि प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Chothi Ram Meena
Date: 2023.11.06 13:32:17 IST
Reason: SelfAttested

जिलों की मध्य की सीमा की पत्थरगढी से संबंधित है जिसके संबंध में केवल मात्र राज्य सरकार को क्षेत्राधिकार प्राप्त है नागौर जिले के अधिकारी को नहीं है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थीगण अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय के फर्द अहकाम दिनांक 25–3–2014 में जो नोटिस तामील होना मानते हुए प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के जो आदेश पारित किये है वह त्रूटिपूर्ण है क्योंकि दिनांक 7–2–2014 की फर्द अहकाम के अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये साधारण सम्मन तलब करेन के आदेश दिये गये थे न कि रजिस्टर्ड ए.डी से। सिविल प्रक्रिया के आदेश 5 नियम 1 के अनुसार साधारण सम्मन जारी किये जाते है और यदि पक्षकार सम्मन लेने से मना करता है या वह सम्मन तामील होने से छिपता या जानबूझकर तामील नहीं करवाता है तो आदेश 5 नियम 20 सीपीसी के प्रावधान के तहत ऐसी रपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय प्रतिस्थापित तामील के आधार पर ऐसे व्यक्ति के मकान पर सम्मन चस्पा करने के आदेश दे सकती है और यदि आवश्यक समझे तो रजिस्टर्ड नोटिस से भी तामील के आदेश दे सकती है एवं स्थानीय समाचार पत्र में भी सम्म्न प्रकाशित करवाए जाकर सम्मन तामील के आदेश दे सकती [illegible] सभी प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि आदेश 5 नियम 20 के [illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते है जब आदेश 5 नियम 1 के तहत साधारण नोटिस जारी कर दिये हो और उसकी तामील जानबूझकर नहीं की जा रही हो। यहां समस्त कार्यवाही जल्दबाजी में व मिलीभगत से की गई है चूंकि प्रार्थीगण को कोई नोटिस तामील

Signature Not Verified
Digitally signed by Chothi Ram Meena
Date: 2023.11.06 13:32:17 IST
Reason: SelfAttested

नहीं करवाए कए जो रिपोर्ट रजिस्टर्ड नोटिस पर होना फर्द अहकाम में अंकित किया है कि पक्षकारान ने नेटिस लेने से मना किया वह सर्वथा गलत व मनमाना है क्योंकि वास्तव में अपीलार्थीगण को कोई नोटिस प्राप्त ही नहीं हुए। इस प्रकार जो तामील किया जाना अंकित है वह उपरोक्त दर्शित आधारो पर सम्म्न तामील कराने के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि फर्द अहकाम दिनांक 25–3–2014 में अपीलार्थीगण के अलावा अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार नोखा की तामील सही नहीं होना मानते हुए पुनः नोटिस जारी करनेके आदेश दिये गये किन्तु इसे पश्चात अंत तक प्रत्यर्थी द्वारा न तो न्यायालय में कोई नोटिस पेश किये गये और ना ही नोटिस तामीली के संबंध में कोई फर्द अहकाम दर्ज की गई सीधे ही प्रकरण आदेशिका दिनांक 25–3–2014 के आदेश की पालना किये बिना ही दिनांक 23–4–2015 को एकतरफा में बहस सुनकर प्रकरण का निर्णय कर दिया जबकि वास्तविकता यह है कि जिस भूमि के संबंध में व जिला सीमा के संबंध में मौके पर पत्थरगढी करने का आदेश दिया है वह सीमा बीकानेर व नागौर जिले के मध्य सीमा रेखा है और इस पर दोनों तरफ क तहसीलदारों को सुनकर व उनकी उपस्थिति में कोई आदेश पारित किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार नोखा को नोटिस देकर विधिवत तामील कराते हुए सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी शिवलाल द्वारा विवादित आराजियात पूर्व में खातेदार नेमचन्द पुत्र श्री नारायण जाति महाजन द्वारा खरीद की गई भूमि है। स्वयं नेमचन्द ने अपने शपथ पत्र में अंकन किया है कि उसकी खेत खसरा नम्बर 126 व 127 की भूमि मौके पर 161 बीघा के बजाय 150 बीघा ही स्थित है जो हमेशा से ही यही चली आ रही है और इसी भूमि का कब्जा मौके पर खरीददारान को दिया गया है। जो भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसके भाईयों द्वरा क्रय की गई है उसमें मौके पर कब्जा 150 बीघा का ही सौंपा गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा क्रय की ई भूमि 150 बीघा ही थी जो आज भी वही मौके पर स्थित है। इसमें वर्तमान अपीलार्थीगण ने न कोई परिवर्तन किया और न ही वे दो जिलों के मध्य सीमा रेखा को परिवर्तित कर रहे है। यदि शिवलाल की भूमि में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसके लिए उसके चारों ओर स्थित नागौर जिले की भूमि का सर्वप्रथम नाप चोप किया जाना आवश्यक है। उससे स्पष्ट होगा कि उसकी तहसील में किसके खेत की सीमा बडी अथवा कम हुई है। नागौर व बीकानेर जिले के मध्य हमेशा से ही पत्थर से मुद्दाम थोडी–थोडी दूरी पर बनी हुई है। दुबारा इसे नये सिरे से बनाये जाने की आवश्यकता [illegible] इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों जिलों के मध्य सीमा [illegible] का आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chothi Ram Meena
Date: 2023.11.06 13:32:17 IST
Reason: SelfAttested

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ नालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार नोखा की तामील नहीं हुई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। दोनों जिलो के मध्य की सीमा का सीमाज्ञान जिला कलक्टर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी के अनुसार केवल मात्र नागौर जिले की सीमा में स्थित प्रत्यर्थी शिवलाल की भूमि के नापने से दोनों जिलो के मध्य की सीमा का सीमांकन नहीं किया जा सकता है इसके लिए दोनों जिलो की भूमियो का विधिवत नाप किया जाना आवश्यक है। इस आधार पर ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1 शिवलाल की भूमि नापकर सीमा पर पत्थरगढी करने का जो आदेश दिया है वह एकपक्षीय होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–5–2015 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 शिवलाल के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि खेत खसरा नम्बर 126 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 127 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा सरहद मौजा श्यामसर तहसील नागौर में स्थित है। अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त की आराजियात में परिवर्तन कर उसकी खातेदारी की आराजियात को कम करना चाहते है जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होता रहता है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 के मध्य खातेदारी आराजियात की सीमाओं को लेकर आपसी विवाद होता रहता है। जिससे विवादित आराजियात की सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक होने पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा मौजा श्यामसर तहसील नागौर का सीमाज्ञान नाप चौप कर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश तहसीलदार नागौर को दिये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट शिवलाल द्वारा अपने स्वयं के खाते की कृषि भूमि की सीमाओं की जानकारी की पुष्टि हेतु एवं जांच के संबंध में उस पर सीमांकन/पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह निर्विवाद तथ्य है कि खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान कराने की स्वतंत्रता है जो कि आस–पड़ौस की भूमि के खातेदारान को मौके पर सुनवाई का पूर्ण [illegible] राजस्व अधिकारी द्वारा दिया जाना होता है। राजस्व नियमों [illegible] संबंधित खातेदार को आवेदन करना होता है। तहसीलदार द्वारा पटवारी से इस पर रिपोर्ट मांगी जाती है कि संबंधित जमीन की मौका स्थिति क्या है प्रकरण कोर्ट आदि में विचाराधीन तो नहीं है किसी तरह का विवाद तो नहीं है। पटवारी की सकारात्मक टिप्पणी के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Chothi Ram Meena
Date: 2023.11.06 13:32:17 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक काश्तकार से तय शुल्क जमा किया जाता है उसके पश्चात सीमांकन करने के बाद पत्थरगढी के आदेश पारित किये जाते है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 एवं 128 के अनुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी के विवादों का निस्तारण किया जाता है। जिन तहसीलों में सीमा विवाद के अत्यधिक मामले विचाराधीन होते है वहां सेटलमेंट के अमीनों व निरीक्षकों की सहायता लेकर सीमाज्ञान के विवाद की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इस संबंध में दोनों पक्षों के आक्षेप सुनने के पश्चात भू–अभिलेख अधिकारी अपना स्वयं का निर्णय पारित करेंगे और संबंधित पक्षकारों को पाबन्द करेगे कि सीमा किस पक्ष की है और कहां तक है और उसमें दूसरा पक्ष किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह का भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश दिये जाने चाहिए। साथ ही बाउण्ड्री विवाद के बारे में यह तय किया जाना चाहिए कि बाउण्ड्री कहा स्थापित है और पैमाइश के आधार पर सीमाएं कहां बनेगी। अपने इस निर्णय के आधार पर भू–अभिलेख अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी सीमा रेखा स्थापित करेंगे। विवादित भूमि की सीमा निर्धारित करने के बाद पत्थरगढी हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की ग्राम श्यामसर जिला नागौर की आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 127 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा का सीमाज्ञान नाप चोप कर पत्थरगढी करवाये जाने के एक साथ आदेश पारित किये है जो त्रूटिपूर्ण होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–05–2015 त्रूटिपूर्ण होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chothi Ram Meena
Date: 2023.11.06 13:32:17 IST
Reason: SelfAttested